**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2075**
दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

## लैंगिक असमानता

2075 **श्रीमती राजाथी:**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सहयोग से भूमि और अन्य संपत्तियों जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों के स्वामित्व में लैंगिक असमानताओं का आकलन किया है;
(ख) क्या सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में महिला स्वामित्व बढ़ाने हेतु कोई विशेष उपाय किए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार ने महिला स्वामित्व को बढ़ावा देने हेतु कोई समर्पित योजना कार्यान्वित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (ग):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नामक एक समन्वि सर्वेक्षण करता है। इससे सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे जनसंख्या की विशेषताएँ, प्रजनन और प्रजनन संबंधी प्राथमिकताएँ, परिवार नियोजन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण, रुग्णता तथा स्वास्थ्य सेवाएँ, महिलाओं का सशक्तीकरण इत्यादि के संबंध में आँकड़े प्राप्त होते हैं।

वर्ष 2019-21में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) में अन्य बातों के साथ-साथ 15-49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत दर्शाया गया था जो अकेले या संयुक्त रूप से घर या भूमि के स्वामी हैं। एनएफएचएस-5 के अनुसार, देश में 15-49 वर्ष के आयु वर्ग की 42.3% महिलाएँ और 15-49 वर्ष के आयु वर्ग के

60.1% पुरुष अकेले या संयुक्त रूप से घर के स्वामी हैं। इसके अतिरिक्त, 15-49 वर्ष आयु वर्ग की 31.7% महिलाएँ और 15-49 वर्ष आयु वर्ग के 42.3% पुरुष अकेले या संयुक्त रूप से भूमि के स्वामी हैं।

भारत सरकार की अनेक योजनाएँ अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई),आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- शहरी,ग्रामीण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महिला समृद्धि योजना तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं द्वारा परिसंपत्तियों के स्वामित्व और उनके आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देती हैं।

पीएमएवाई- ग्रामीण के कार्यान्वयन ढ़ाचे के अनुसार, विधुर/अविवाहित/अलग रह रहे व्यक्ति/ट्रांसजेंडर के मामले को छोड़कर घर का आवंटन महिला के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा। पीएमएवाई (शहरी) में भी इस मिशन के तहत परिवार की महिला मुखिया को घर की स्वामिनी या सह-स्वामिनी होना अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भूमि संसाधन विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकार अभिलेख (आरओआर) में लिंग संबंधी कॉलम शामिल करने का निदेश दिया है। यह पहल भूमि अभिलेखों में महिला भूमि स्वामियों की जानकारी दर्ज करने में सहायक होगी।

*****